



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण)
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
सोरों रोड, निकट जिला मुख्यालय, कासगंज

(Corporate Identification Number U31200UP2003SGC027460)

Email-edd.kasganj.rural@gmail.com

9193304201

पत्रांक: 552

/वि.वि.ख.ग्रा.(कासगंज)

दिनांक: 11-09-23

कार्यालय ज्ञाप

निम्नलिखित आवेदक के निजी नलकूप संयोजन हेतु पूर्ण जमा योजना उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत सूची दर (एल0एम0वी-5) के उपभोक्तावार एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

विद्युत भार स्वीकृति के नियम एवं शर्तें वर्तमान टैरिफ एवं समय-समय पर परिवर्तित दर सूची के अनुसार लागू रहेगा।

क्र0सं 0	उपभोक्ता का नाम व पता	मोबाइल नम्बर	उपखण्ड का नाम	भार (एच0पी0)	विभव (के0वी 0ए0)	विकास खण्ड	दिनांक
1	श्रीमती निर्मला पत्नी श्री रामचन्द्र निवासी नवादा पोस्ट व ब्लॉक गंजडुण्डवारा, जनपद-कासगंज। (आवेदन सं0 :- 1008321293)	9988184124	गंजडुण्डवारा	13	0.440	गंजडुण्डवारा	06.09.2023

विद्युत शक्ति की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर दी जाती है :-

1. आवेदक अपनी संयोजन सम्बन्धी भौतिक पत्रावली (बोरिंग प्रमाण पत्र/खसरा/खतौनी/सहखातेदारों की अनापत्ति) खण्ड कार्यालय में 02 कार्यदिवस में उपलब्ध कराये। जिससे पत्रावली की जाँच कर संयोजन सम्बन्धी कार्यवाही की जा सके।
2. स्थल पर बोरिंग न पाये जाने की दशा में आवेदक को संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा।
3. यदि आवेदक एवं आवेदक के परिवार के सदस्यों पर विद्युत का बकाया प्रदर्शित होता है, तो आवेदक को संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा।
4. कोई भी उपभोक्ता किसी अन्य व्यक्ति के नाम संयोजन हस्तान्तरित नहीं करेगा।

अधिशासी अभियन्ता

दिनांक:

पत्रांक:

/वि.वि.ख.ग्रा.(कासगंज)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, गंजडुण्डवारा, कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपभोक्ता से मूल पत्रावली प्राप्त कर खण्ड कार्यालय को प्राक्कलन के साथ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. सम्बन्धित अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आवेदक का प्राक्कलन 05 कार्यदिवस में ई0आर0पी0 के माध्यम से खण्ड कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. मात्राधिक विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण, कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/अवर अभियन्ता से प्राक्कलन प्राप्त कर आवेदन विर्योन्ड होने से पूर्व अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
4. श्रीमती निर्मला पत्नी श्री रामचन्द्र निवासी नवादा पोस्ट व ब्लॉक गंजडुण्डवारा, जनपद-कासगंज

By Email

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण)
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
सोरों रोड, निकट जिला मुख्यालय, कासगंज

(Corporate Identification Number U31200UP2003SGC027460)

Email-edd.kasganj.rural@gmail.com

9193304201

दिनांक: 11-09-23

पत्रांक: 553 / वि. वि. ख. ग्रा. (कासगंज)

कार्यालय ज्ञाप

निम्नलिखित आवेदक के निजी नलकूप संयोजन हेतु पूर्ण जमा योजना उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत सूची दर (एल0एम0वी-5) के उपभोक्तावार एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।
विद्युत भार स्वीकृति के नियम एवं शर्तें वर्तमान टैरिफ एवं समय-समय पर परिवर्तित दर सूची के अनुसार लागू रहेगा।

क्र0सं 0	उपभोक्ता का नाम व पता	मोबाइल नम्बर	उपखण्ड का नाम	भार (एच0पी0)	विभव (के0वी 0ए0)	विकास खण्ड	दिनांक
1	श्री ऋषिपाल पुत्र श्री लीलाधर निवासी ग्राम नगला मंशा पोस्ट अकबरनगर पलिया ब्लॉक गंजडुण्डवारा, जनपद-कासगंज। (आवेदन सं0 :- 1008321026)	9528761997	गंजडुण्डवारा	13	0.440	गंजडुण्डवारा	06.09.2023

विद्युत शक्ति की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर दी जाती है :-

- आवेदक अपनी संयोजन सम्बन्धी भौतिक पत्रावली (बोरिंग प्रमाण पत्र/खसरा/खतौनी/सहखातेदारों की अनापत्ति) खण्ड कार्यालय में 02 कार्यदिवस में, उपलब्ध कराये। जिससे पत्रावली की जाँच कर संयोजन सम्बन्धी कार्यवाही की जा सके।
- स्थल पर बोरिंग न पाये जाने की दशा में आवेदक को संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा।
- यदि आवेदक एवं आवेदक के परिवार के सदस्यों पर विद्युत का बकाया प्रदर्शित होता है, तो आवेदक को संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा।
- कोई भी उपभोक्ता किसी अन्य व्यक्ति के नाम संयोजन हस्तान्तरित नहीं करेगा।

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक: / वि. वि. ख. ग्रा. (कासगंज)

दिनांक:

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, गंजडुण्डवारा, कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपभोक्ता से मूल पत्रावली प्राप्त कर खण्ड कार्यालय को प्राक्कलन के साथ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आवेदक का प्राक्कलन 05 कार्यदिवस में ई0आर0पी0 के माध्यम से खण्ड कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- मात्रचित्रक विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण, कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/अवर अभियन्ता से प्राक्कलन प्राप्त कर आवेदन वियॉन्ड होने से पूर्व अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- श्री ऋषिपाल पुत्र श्री लीलाधर निवासी ग्राम नगला मंशा पोस्ट अकबरनगर पलिया ब्लॉक गंजडुण्डवारा, जनपद-कासगंज।

By Email

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण)
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
सोरों रोड, निकट जिला मुख्यालय, कासगंज

(Corporate Identification Number U312001P2003SGC027460)

Email-edd.kasganj.rural@gmail.com

9193304201

पत्रांक: 547

/वि.वि.ख.ग्रा.(कासगंज)

दिनांक: 11-09-23

कार्यालय ज्ञाप

निम्नलिखित आवेदक के निजी नलकूप संयोजन हेतु पूर्ण जमा योजना उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत सूची दर (एल0एम0वी-5) के उपभोक्तावार एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

विद्युत भार स्वीकृति के नियम एवं शर्त वर्तमान टैरिफ एवं समय-समय पर परिवर्तित दर सूची के अनुसार लागू रहेगा।

क्र0सं 0	उपभोक्ता का नाम व पता	मोबाइल नम्बर	उपखण्ड का नाम	भार (एच0पी0)	विभव (के0वी 0ए0)	विकास खण्ड	दिनांक
1	श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री लाखन सिंह निवासी ग्राम कांली गढिया वि0क्षे0 गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज। (आवेदन सं0 :- 1008321594)	7060883043	गंजडुण्डवारा	13	0.440	गंजडुण्डवारा	11.09.2023

विद्युत शक्ति की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर दी जाती है :-

- आवेदक अपनी संयोजन सम्बन्धी भौतिक पत्रावली (बोरिंग प्रमाण पत्र/खसरा/खतौनी/सहखातेदारों की अनापत्ति) खण्ड कार्यालय में 02 कार्यदिवस में उपलब्ध कराये। जिससे पत्रावली की जाँच कर संयोजन सम्बन्धी कार्यवाही की जा सके।
- स्थल पर बोरिंग न पाये जाने की दशा में आवेदक को संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा।
- यदि आवेदक एवं आवेदक के परिवार के सदस्यों पर विद्युत का बकाया प्रदर्शित होता है, तो आवेदक को संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा।
- कोई भी उपभोक्ता किसी अन्य व्यक्ति के नाम संयोजन हस्तान्तरित नहीं करेगा।

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक:

/वि.वि.ख.ग्रा.(कासगंज)

दिनांक:

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, गंजडुण्डवारा, कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपभोक्ता से मूल पत्रावली प्राप्त कर खण्ड कार्यालय को प्राक्कलन के साथ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आवेदक का प्राक्कलन 05 कार्यदिवस में ई0आर0पी0 के माध्यम से खण्ड कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- मात्रचित्रक विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण, कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/अवर अभियन्ता से प्राक्कलन प्राप्त कर आवेदन वियॉन्ड होने से पूर्व अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री लाखन सिंह निवासी ग्राम कांली गढिया वि0क्षे0 गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज

By Email

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण)
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
सोरो रोड, निकट जिला मुख्यालय, कासगंज

(Corporate Identification Number U31200UP2003SGC027460)

Email-edd.kasganj.rural@gmail.com

9193304201

पत्रांक: 548

/वि.वि.ख.ग्रा.(कासगंज)

दिनांक: 11-09-23

कार्यालय ज्ञाप

निम्नलिखित आवेदक के निजी नलकूप संयोजन हेतु पूर्ण जमा योजना उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत सूची दर (एल0एम0वी-5) के उपभोक्तावार एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

विद्युत भार स्वीकृति के नियम एवं शर्तों वर्तमान टैरिफ एवं समय-समय पर परिवर्तित दर सूची के अनुसार लागू रहेगा।

क्र0सं 0	उपभोक्ता का नाम व पता	मोबाइल नम्बर	उपखण्ड का नाम	भार (एच0पी0)	विभव (के0वी 0ए0)	विकास खण्ड	दिनांक
1	श्री कृष्ण सिंह सोलंकी पुत्र श्री जय सिंह निवासी ग्राम सैलोट पोस्ट दूढ़रा ब्लॉक सिद्धपुरा जनपद-कासगंज। (आवेदन सं0 :- 1008321272)	8077349341	गंजडुण्डवारा	13	0.440	सिद्धपुरा	07.09.2023

विद्युत शक्ति की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर दी जाती है :-

1. आवेदक अपनी संयोजन सम्बन्धी भौतिक पत्रावली (बोरिंग प्रमाण पत्र/खसरा/खतौनी/सहखातेदारों की अनापत्ति) खण्ड कार्यालय में 02 कार्यदिवस में उपलब्ध कराये। जिससे पत्रावली की जाँच कर संयोजन सम्बन्धी कार्यवाही की जा सके।
2. स्थल पर बोरिंग न पाये जाने की दशा में आवेदक को संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा।
3. यदि आवेदक एवं आवेदक के परिवार के सदस्यों पर विद्युत का बकाया प्रदर्शित होता है, तो आवेदक को संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा।
4. कोई भी उपभोक्ता किसी अन्य व्यक्ति के नाम संयोजन हरतान्तरित नहीं करेगा।

पत्रांक:

/वि.वि.ख.ग्रा.(कासगंज)

अधिशासी अभियन्ता
दिनांक:

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, गंजडुण्डवारा, कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपभोक्ता से मूल पत्रावली प्राप्त कर खण्ड कार्यालय को प्राक्कलन के साथ प्रेषित करना सुनिश्चित करे।
2. सम्बन्धित अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आवेदक का प्राक्कलन 05 कार्यदिवस में ई0आर0पी0 के माध्यम से खण्ड कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. मात्राविक्रम विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण, कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/अवर अभियन्ता से प्राक्कलन प्राप्त कर आवेदन वियॉन्ड होने से पूर्व अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
4. श्री कृष्ण सिंह सोलंकी पुत्र श्री जय सिंह निवासी ग्राम सैलोट पोस्ट दूढ़रा ब्लॉक सिद्धपुरा जनपद-कासगंज।

By Email

अधिशासी अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण)
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
सोरो रोड, निकट जिला मुख्यालय, कासगंज

(Corporate Identification Number U312001P2003SGC027460)
Email-edd.kasganj.rural@gmail.com

9193304201

पत्रांक: 546

/वि.वि.ख.ग्रा.(कासगंज)

दिनांक: 11-09-23

कार्यालय ज्ञाप

निम्नलिखित आवेदक के निजी नलकूप संयोजन हेतु पूर्ण जमा योजना उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत सूची दर (एल0एम0वी-5) के उपभोक्तावार एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

विद्युत भार स्वीकृति के नियम एवं शर्तें वर्तमान टैरिफ एवं समय-समय पर परिवर्तित दर सूची के अनुसार लागू रहेगा।

क्र0सं 0	उपभोक्ता का नाम व पता	मोबाइल नम्बर	उपखण्ड का नाम	भार (एच0पी0)	विभव (के0वी 0ए0)	विकास खण्ड	दिनांक
1	श्रीमती नेकसो देवी पत्नी श्री जवर सिंह निवासी ग्राम सलावत नगर वि0क्षे0 गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज। (आवेदन सं0 :- 1008321576)	8006626269	गंजडुण्डवारा	13	0.440	गंजडुण्डवारा	08.09.2023

विद्युत शक्ति की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर दी जाती है :-

- आवेदक अपनी संयोजन सम्बन्धी भौतिक पत्रावली (बोरिंग प्रमाण पत्र/खसरा/खतौनी/सहखातेदारों की अनापत्ति) खण्ड कार्यालय में 02 कार्यदिवस में उपलब्ध करायें। जिससे पत्रावली की जाँच कर संयोजन सम्बन्धी कार्यवाही की जा सके।
- स्थल पर बोरिंग न पाये जाने की दशा में आवेदक को संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा।
- यदि आवेदक एवं आवेदक के परिवार के सदस्यों पर विद्युत का बकाया प्रदर्शित होता है, तो आवेदक को संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा।
- कोई भी उपभोक्ता किसी अन्य व्यक्ति के नाम संयोजन हस्तान्तरित नहीं करेगा।

अधिशासी अभियन्ता

दिनांक:

पत्रांक:

/वि.वि.ख.ग्रा.(कासगंज)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, गंजडुण्डवारा, कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपभोक्ता से मूल पत्रावली प्राप्त कर खण्ड कार्यालय को प्राक्कलन के साथ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आवेदक का प्राक्कलन 05 कार्यदिवस में ई0आर0पी0 के माध्यम से खण्ड कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- मात्रचित्रक विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण, कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/अवर अभियन्ता से प्राक्कलन प्राप्त कर आवेदन विर्योन्ड होने से पूर्व अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- श्रीमती नेकसो देवी पत्नी श्री जवर सिंह निवासी ग्राम सलावत नगर वि0क्षे0 गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज।

By Email

अधिशासी अभियन्ता

दिनांक:



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड, (ग्रामीण)
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
सोरों रोड, निकट जिला मुख्यालय, कासगंज

(Corporate Identification Number U31200UP2003SGC027460)
Email-edd.kasganj.rural@gmail.com

9193304201

दिनांक: 11.09.2023

पत्रांक: 557

/वि.वि.ख.ग्रा.(कासगंज)

कार्यालय ज्ञाप

निम्नलिखित आवेदक के निजी नलकूप संयोजन हेतु पूर्ण जमा योजना उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत सूची दर (एल0एग0वी-5) के उपभोक्तावार एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।
विद्युत गार स्वीकृति के नियम एवं शर्तें वर्तमान टैरिफ एवं समय-समय पर परिवर्तित दर सूची के अनुसार लागू रहेगा।

क्र0सं 0	उपभोक्ता का नाम व पता	मोबाइल नम्बर	उपखण्ड का नाम	भार (एच0पी0)	विभव (के0वी 0ए0)	विकास खण्ड	दिनांक
1	श्री दयाराम पुत्र श्री हीरालाल निवारी ग्राम म्यूनी पोस्ट कादरगंज ब्लॉक गंजडुण्डवारा, जनपद कासगंज। (आवेदन सं0 :- 1008320537)	9759491996	गंजडुण्डवारा	13	0.440	गंजडुण्डवारा	05.09.2023

विद्युत शक्ति की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर दी जाती है :-

- आवेदक अपनी संयोजन सम्बन्धी भौतिक पत्रावली (बोरिंग प्रमाण पत्र/खसरा/खतौनी/सहखातेदारों की अनापत्ति) खण्ड कार्यालय में 02 कार्यदिवस में उपलब्ध कराये। जिससे पत्रावली की जाँच कर संयोजन सम्बन्धी कार्यवाही की जा सके।
- स्थल पर बोरिंग न पाये जाने की दशा में आवेदक को संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा।
- यदि आवेदक एवं आवेदक के परिवार के सदस्यों पर विद्युत का बकाया प्रदर्शित होता है, तो आवेदक को संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा।
- कोई भी उपभोक्ता किसी अन्य व्यक्ति के नाम संयोजन हस्तान्तरित नहीं करेगा।

अधिशासी अभियन्ता

दिनांक: 11.09.2023

पत्रांक: 557

/वि.वि.ख.ग्रा.(कासगंज)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, गंजडुण्डवारा, कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपभोक्ता से मूल पत्रावली प्राप्त कर खण्ड कार्यालय को प्राक्कलन के साथ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आवेदक का प्राक्कलन 05 कार्यदिवस में ई0आर0पी0 के माध्यम से खण्ड कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- मात्रचित्रक विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण, कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/अवर अभियन्ता से प्राक्कलन प्राप्त कर आवेदन वियॉन्ड होने से पूर्व अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- श्री दयाराम पुत्र श्री हीरालाल निवासी ग्राम म्यूनी पोस्ट कादरगंज ब्लॉक गंजडुण्डवारा, जनपद कासगंज।

अधिशासी अभियन्ता

By Email